



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(8)

प्र.कं. / 2016 पुनरीक्षण

क्रिग - 3610 - I - 16

श्रीमती गोपी पिता मोहनलाल पत्नी
बालाप्रसाद द्विवेदी

निवासी ग्राम गुमाई तह. अतर्रा जिला बांदा

..... आवेदक

विरुद्ध

1. राजाबाबू पुत्र रामशरण द्विवेदी
2. धनीराम पुत्र रामशरण द्विवेदी
3. हरीदयाल पुत्र रामशरण द्विवेदी

तीनों निवासीगण महोईकलां तहसील
गौरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

मुकेश माशुपि एसपीकेट
17-10-16 को

~~17-10-16~~

294
17-10-16

WB
मुकेश माशुपि
17-10-16 एसपीकेट
ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय लवकुशनगर (लौड़ी) जिला छतरपुर
द्वारा प्र.कं. 115 अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक
20.1.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1950 की धारा
50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2- यह कि, भूमि खनं. 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 139, 900, 2059, 2051, 2032, 202, 204, 147, 148, 1952, 152, 157, 192, 200, 326, 2013, 2043, 2045, 2014, 1934, 2029, 277/2, 841, 842, 134, 1935, 1959, 2032 कुल रकवा 13.977 है0 भूमि में हिस्सा 1/2 भूमि के

(1)

(4)

R 3610-I/16 दृश्य
गोपी / राजावत

30-7-18

श्रीमती राजावत गण कार्य से
विस्तार / तर्क देव / ?
C.F. 5-9-18 कानपुर

59

5.9.18 - आवेक गोपी की ओर से अर्ध.
श्रीमती राजावत व अर्ध के राजावत
की ओर से अर्ध श्री पी. के तिकारी
अर्ध को सुना गया।

अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय
अधीनस्थ ने दिनांक 20/11/16 की
आदेश पंजीक में निम्न आदेश
दिया जिसके विषय Revision की है।
" अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड
आने तक अधीनस्थ न्यायालय
का आदेश दिनांक 8/1/2016 स्थगित
किया जाता है। "

- अनुविभागीय अधीनस्थ की आदेश पंजीक दिनांक 22 8/16 अनुक्रम उन्हें Revision प्रारंभ से चुकाई
- अर्ध अर्ध Revision Infructuous एवं से Revision समाप्त की जाती है।
- अधीनस्थ न्यायालय को अर्ध के वापस भेजा जाये। 5/9/18

(2)